कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली

प्रेस नोट

दिनांक- 22.04.2026

02 अन्तर्राज्यीय शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार,

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 05 लाख का चोरी का माल किया गया बरामद

घटनाक्रम- दिनाँक 29.03.2026 को थाना स्थानीय अन्तर्गत ग्राम सदलपुरा में इण्डस टावर से कीमती कार्ड की चोरी की गयी थी प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-200/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत कर अन्य विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित की गयी। विवेचना के क्रम में स्वाट/सर्विलांस की मदद, घटनास्थल से प्राप्त इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त प्रकाश में आये थे। जो वांछित चल रहे थे।

उच्चाधिकारीगण के निर्देशन में थाना अलीनगर पुलिस टीम द्वारा दिनाँक 21.04.2026 के समय लगभग 23.46 बजे मुखबिर की सूचना के आधार पर गोधना अण्डरपास के पास से मोबाइल टावरों से कीमती उपकरण चोरी करने वाले गिरोह के दो सक्रिय अन्तर्राज्यीय सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान मनीष कुमार पुत्र छोटू, निवासी: ग्राम बहुआर, थाना जमालपुर, जनपद मिर्जापुर (उम्र 25 वर्ष) व कमलेश पटेल पुत्र राम सूरत पटेल, निवासी: सरैया कमरहट्टा, थाना पडरी, जनपद मिर्जापुर (उम्र 29 वर्ष) के रूप में हुई । गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 03 अंजना नोकिया (टावर उपकरण) व 02 मोबाइल फोन (एक वीवो और एक सैमसंग) बरामद किये गये है।

पूछताछ विवरण एवं अपराध करने का तरीका-

पूछताछ में अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि वे विभिन्न मोबाइल टावरों से कीमती कार्ड और उपकरण (जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 05.00 लाख) चोरी करते हैं और उन्हें वे बस के माध्यम से दिल्ली ले जाकर अपने अन्य साथियों को एक कार्ड लगभग 30,000 रूपये में बेच देते हैं । पूर्व में सदलपुरा टावर से चोरी किये गये उपकरण को वे दिल्ली ले जाकर बेच चुके है जिसका पैसा उन्होनें आनलाइन (यूपीआई) व कुछ नगद प्राप्त कर लिया है। अभियुक्तों ने बताया कि उन्होंने दिनांक 29.03.2026 को ग्राम सदलपुरा स्थित एयरटेल टावर से भी उपकरण चोरी किए थे, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर

मु.अ.सं. 200/26 धारा 303 (2) बीएनएस पहले से पंजीकृत है। पकड़े गए अभियुक्तों पर वर्तमान में धारा 317(2) बीएनएस के तहत कार्रवाई की गई है।

बरामदगी का विवरण-

03 अंजना नोकिया (टावर उपकरण) अनुमानित कीमत लगभग 5.00 लाख रूपयें।

02 मोबाइल फोन (एक वीवो और एक सैमसंग)।

नकद धनराशि: कुल 250 रुपये।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-मनीष कुमार पुत्र छोटू, निवासी: ग्राम बहुआर, थाना जमालपुर, जनपद मिर्जापुर (उम्र 25 वर्ष)।

2-कमलेश पटेल पुत्र राम सूरत पटेल, निवासी: सरैया कमरहट्टा, थाना पडरी, जनपद मिर्जापुर (उम्र 29 वर्ष)।

अभियुक्त मनीष कुमार पुत्र छोटू का अपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0-245/2025 धारा 317(2) बीएनएस थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।

2-मु.अ.सं. 200/26 धारा 303 (2) बीएनएस थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।

3-मु0अ0सं0-249/2026 धारा 317(2) थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।

अभियुक्त कमलेश पटेल पुत्र राम सूरत पटेल का अपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0-244/2024 धारा 303(2), 324(5) बीएनएस थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

2-मु0अ0सं0-717/2024 धारा 303(2) बीएनएस थाना राबर्टसगंज जनपद सोनभद्र

3-मु.अ.सं. 200/26 धारा 303 (2) बीएनएस थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।

4-मु0अ0सं0-249/2026 धारा 317(2) थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।